झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः..................

प्रेषकः

ई॰ शिवा नन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभि॰)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेंत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत धुरकी प्रखंड के पारसपानी खूर्द ग्राम में जामा बाँध के जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू॰ 11.261 लाख (रू0 ग्यारह लाख छब्बीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेंत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत धुरकी प्रखंड के पारसपानी खूर्द ग्राम में जामा बाँध के जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू॰ 11.261 लाख (रू0 ग्यारह लाख छब्बीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 इस योजना के निर्माण हेतु माननीय उच्च न्यायालय में PIL [WP (PIL) No-543/2013 मंजूर खान बनाम राज्य सरकार] दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसके आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4 योजना की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तकनीकी अनुमोदन सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत है।

5 इस योजना अंतर्गत बाँध का जीर्णोद्वार, एक अदद् स्पीलवे, 2 अदद् आउटलेट निर्माण का प्रावधान है।

6 इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ दी जाती है–

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जायगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री॰ लेवल माप पुस्त में अंकित किया जायगा एवं इसकी शत प्रतिशत जांच सहायक अभियंता के द्वारा तथा पचास प्रतिशत जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा करना सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होगा तो उस स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

(iv) योजना के कार्य स्थल का विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त जल की उपलब्धता एवं कमाण्ड क्षेत्र, एवं कार्य की आवश्यकता का आकलन किया जायगा। तदनुसार प्राक्कलन तैयार कर उसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जायगी।

(v) योजनाओं के कार्यान्वयन् के पूर्व मुख्य अभिंयता, लघु सिचाई राँची द्वारा 6 (i) (ii) (iii) & (iv) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7 इस योजना के पुनर्स्थापन कार्य से कुल 28 हे॰ (खरीफ 19 हे॰ एवं रब्बी 9 हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के पुनर्जीवित होगी। योजना का इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रू0 40217 हे0 आकलित है।

8 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया जाता है।

9 इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट ''शीर्ष 4702–लघु सिंचाइ पर पूंजीगत परिव्यय– 101–सतही जल–20– पुरानी लघु सिंचाई येाजना का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य 05–43'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

10 इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

11 इस कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12 इस कार्य के राशि की निकासी गढ़वा कोषागार से की जाएगी।

13 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

15 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

16 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः.................

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एंव विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः.................

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/(कोट केश)–109/2013 ..../राँची, दिनांकः.................

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/ अधीक्षण अभियता, लघु सिंचाई अंचल, मेदनीनगर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3 / पी०एम०सी० / (कोट केश)–109 / 2013 .... / राँची, दिनांकः..................

प्रतिलिपिः आयुक्त पलामू प्रमंडल, मेदनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3 / पी०एम०सी० / (कोट केश)–109 / 2013 .... / राँची, दिनांकः..................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3 / पी०एम०सी० / (कोट केश)–109 / 2013 08/14-15 प्र'खी' **/ राँची, दिनांकः** 11.06.2014

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

11/6/14

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

11/06/14